न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 04/19

रमेश पुत्र मांगीलाल जाति खारवाल निवासी उदई कलां तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 337/17 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी मु0न0 55/15 निर्णय दिनांक 7.8.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री शिवचरण शर्मा
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.09.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 337/17 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 55/15 दिनांक 7.8.15 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 7.8.15 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम उदई कलां ए की आराजी ख0न0 1623 रकवा 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमी मानने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिकमी की श्रेणी मे नही आता है। पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नही है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिकमी है। एक मात्र पटवारी

Scanned by CamScanner

हल्का के बयान को आधार मानकर अपीलांट का सजायाब किया है। जबकि पटवारी हल्का से अपीलांर्थी को जिरह का अवसर नही मिला है। बिना जिरह के बयानो के आधार पर सिविल कारावास की सजा दिया जाना विधि विरूद्व है। भूमि ख0न0 1623 रबा 0.02 वाके ग्राम उदेई कलां पर अपीलांट का कोई कब्जा न तो पूर्व मे था ना ही वर्तमान मे है। विवादित आराजीयात से अपीलांट का कोई सास्ता संबंध नही है। इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अशिक्षित गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। जो पल्लेदारी का कार्य करके परिवार का पालना पोषण करता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

एसपो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम उदई कला की आराजी ख0न0 1623 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण कियें जाने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91(3) की रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश की गई है। अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय मे उपस्थित होकर अतिक्रमण नही होने/हटा लेने का शपथ पत्र भी पेश किया गया था जिसकी जॉच पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर की गई। जिस पर मौके पर अतिक्रमण पाया गया था। अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय मे झूठा शपथ पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह किया गया है। अपीलांट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। इस कारण ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश की गई थी। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो आम जन के लोक प्रयोजन की भूमि है। गैर मुमकिन रास्ते के संबंध मे आमजन की शिकायते भी उच्चाधिकारियो को प्राप्त होती है। इस प्रकार के अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जो विधि अनुरूप है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा। अतः अपील खारिज फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को यथावत रखा जावे।

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलार्थी के विरूद्व नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश करने पर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 23.7.15 को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 30.7.15 नियत की गई। जिसकी तामिल तामिल कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी के पुत्र द्वारा करवाई जाकर तामिली प्रति नायब तहसीलदार के समक्ष पेश की गई है। जिसकी पालना मे अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अतिक्रमण नही होने/हटा लेने का शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसकी सम्यक जॉच स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर की गई है जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मौके से अपीलार्थी

Scanned by CamScanner

द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने के फसलस्वरूप ही अपीलार्थी के विरूद्व सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। विवादित आराजीयात की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो आम जन के आने जाने के कार्य आती है। यदि इस प्रकार के अतिकमियो की सजा माफ कर दी जाती है तो ऐसे लोगो के हौसले बुलन्द हो जावेगे। इस प्रकार हमारे मतानुसार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पूर्ण जॉच एवं विधि के अनुरूप ही अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है एवं अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु0न0 337/17 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के मु0न0 55/15 निर्णय दिनांक 7.8.15 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.9.19

(राजीव लाल त्रिवेदी)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: